To,

The Registrar
National Green Tribunal
Principal Bench
New Delhi.

Sub.- A Compliance report in pursuance to the order dated 10.05.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal Principal Bench, New Delhi in O.A. No. 201/2024 Amit Kumar Vs State of U.P.

Respected Sir,

In above noted case, Hon'ble Tribunal has given the direction as below:-

"8. Report clearly states that river used to flow perennially around 15 years ago to meet the basic rural domestic and agricultural freshwater needs but on inspection it was found that water body is now without water discharge. This river is tributary of river Yamuna which ultimately meets river Ganga. The restoration of river and its flow is required to be done. Hence, we direct Respondent No.6- District Magistrate, Shamli and Respondent No.7- District Magistrate, Saharanpur to prepare a time bound action plan for restoration of the river and submit it before the Tribunal at least one week before the next date of hearing."

In compliance to the above direction, the Irrigation Department Drinage Khand Shamli (Muzaffarnagar) has been submitted the restoration plan of Khokhri River on behalf of the Respondent No. 06-District Magistrate, Shamli is annexed as Annexure-1 and Irrigation Department Nirman Khand, Saharanpur has also been submitted the restoration plan of Khokhri River on behalf of the Respondent No. 07-District Magistrate, Saharanpur is annexed as Annexure-2 .

Therefore a compliance report is being submitted before this Hon'ble Tribunal along with it's respective annexures for perusal and kind consideration.

Encl. : As above.

Yours faithfully,

21/08/2024

(Dr. Yogender Kumar)
Regional Officer

C.C.

1. Member Secretary, UP Pollution Control Board, Lucknow
2. District Magistrate, Shamli.
3. District Magistrate, Saharampur.
4. Chief Enivornmental Officer(C-3), UP Pollution Control Board, Lucknow.

GN

Email : romuzaffarnagar@uppcb.in

Annexure-1

दूरभाष : 0131-2436493

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6-बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर-251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं० / Ref. No. 561/क्षे०का०/ओ०ए०न० 201/अमित कुमार/2024

दिनांक / Dated 14.8.2024

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सहारनपुर।

विषय—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–201/2024 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.05.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक-401/ओ0ए0-201/2024 दिनांक 22.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0-201/2024 2024 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.05.2024 के अनुपालन में खोखरी नदी के रैस्टोरेशन प्लान तैयार कराकर प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी है। तत्क्रम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में पारित आदेश दिनांक 10.05.2024 के अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड, शामली (मुजफ्फरनगर) द्वारा जिलाधिकारी महोदय शामली को अपने पत्रांक-955/डीडीएम दिनांक 07.08.2024 द्वारा 05 सदस्यीय टीम की संयुक्त निरीक्षण आख्या मय फोटोग्राफ एवं खोखरी नदी का समयबद्ध रैस्टोरेशन प्लान संलग्न कर प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र इस कार्यालय में दिनांक 13.08.2024 को प्राप्त हुआ है।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.05.2024 के ससमय अनुपालन हेतु उक्त 05 सदस्यीय टीम की संयुक्त निरीक्षण आख्या मय फोटोग्राफ एवं खोखरी नदी का समयबद्ध रैस्टोरेशन प्लान की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

ASO for ... 16/8

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अंकित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि-

1. जिलाधिकारी महोदय, सहारनपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. विधि अधिकारी (प्रथम), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

D/Neeraj Mittal/Letter 2024

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
ड्रेनेज खण्ड, शामली (मुजफ्फरनगर)

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय
शामली।

जिलाधिकारी
09-08-24

पत्रांकः– 955/डीडीएम/ दिनांक : 07/08/2024

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 201/2024 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 10.05.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–193/ओए नं0–201/अमित कुमार/2024/दिनांक 24.05.2024

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। जिसके द्वारा अधोहस्ताक्षरी को जनपद शामली में प्रवाहित खोखरी नदी का Time bound action plan for Restoration of the river तैयार कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 201/2024 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 10.05.2024 द्वारा जनपद शामली में प्रवाहित होने वाले खोखरी नदी के सम्बन्ध में निम्नवत आदेश जारी किये गये है :–

8. Report clearly states that river used to flow perennially around 15 years ago to meet the basic rural domestic and agricultural freshwater needs but on inspection it was found that water body is now without water discharge. This river is tributary of river Yamuna which ultimately meets river Ganga. The restoration of river and its flow is required to be done. Hence, we direct Respondent No. 6- District Magistrate, Shamli and Respondent No.7- District Magistrate, Saharanpur to prepare a timebound action plan for restoration of the river and submit it before the Tribunal at least one week before the next date of hearing.

9. Application present in person has also sought four weeks time to file objection to the report which is granted.

10. List on 27.08.2024

अतः आदेशों के अनुपालन में लुप्त हुई खोखरी नदी का स्थलीय निरीक्षण करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–677/डीडीएम/दिनांक 18.06.2024 के द्वारा 5 सदस्यीय की टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा दिनांक 28.06.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया (फोटोग्राफ्स संलग्न) तथा दिनांक 04.07.2024 व 10.07.2024 को खोखरी नदी का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया। गठित टीम द्वारा उपलब्ध करायी गयी निरीक्षण आख्या मूल रूप में संलग्न हैं। इसके साथ ही खोखरी नदी का समयबद्ध Restoration Plan भी संलग्न हैं। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
ड्रेनेज खण्ड शामली (मुजफ्फरनगर)

पत्रांक :– /डीडीएम/तदिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर।

2– अधिशासी अभियन्ता, लोअर खण्ड पूर्वी यमुना नहर, शामली।

अधिशासी अभियन्ता
ड्रेनेज खण्ड शामली (मुजफ्फरनगर)

D.Man/letter 2024-25/7

कलेक्ट्रेट
शामली
डाक प्राप्त
पत्रांक 1032
दिनांक 12-08-24

Annexure - 1

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 201/2024 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 10.05.2024 के अनुपालन के कम में विलुप्त हुई खोखरी नदी के स्थलीय निरीक्षण की आख्या :–

महोदय,

अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड, शामली (मुजफ्फरनगर) के द्वारा जनपद शामली में विलुप्त हुई खोखरी नदी का मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशो के अनुपालन में खोखरी नदी का Restoration plan तैयार किया जाना है। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 677/डीडीएम/दिनांक 18.06.2024 के द्वारा गठित टीम द्वारा दिनांक 28.06.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। इसी क्रम में अधिशासी अभियन्ता महोदय द्वारा अपने पत्रांक 730/दिनांक 29.06.2024 के द्वारा उपराजस्व अधिकारी/जिलेदार, ड्रेनेज खण्ड, शामली (मुजफ्फरनगर), तहसीलदार–ऊन, तहसील–ऊन, जनपद शामली, ए0डी0ओ0 कॉपरेटिव, तहसील–ऊन, जनपद शामली, क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक, तहसील–ऊन, जनपद शामली तथा सींचपर्यवेक्षक व सींचपाल, ड्रेनेज खण्ड, शामली (मुजफ्फरनगर) गठित टीम द्वारा दिनांक 04.07.2024 व 10.07.2024 को खोखरी नदी का विस्तृत सर्वेक्षण कर नदी के संरेखण में आने वाले ग्राम सकौती व चौसाना के मकानों की समस्त जानकारी एकत्रित की गयी, जिसमें ग्राम सकौती के अनतर्गत 27 मकानों में 1394.43 वर्ग मीटर व ग्राम चौसाना के अन्तर्गत 06 मकानों में 384.432 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल पाया गया है, जिसकी सूची संलग्न है।

जनपद शामली में खोखरी नदी की कुल लम्बाई 20.500 किमी0 है। खोखरी नदी की औसत बैड की चौडाई 17 मीटर व औसत वाटर डैप्थ 1.30 मी0 है। खोखरी नदी जनपद शामली के ग्राम चौसाना से प्रारम्भ होकर ग्राम सकौती, कमालपुर, गुज्जरपुर, अजीजपुर, केरटू व ख्वाजपुरा में यमुना नदी में मिल जाती है। खोखरी नदी के ग्राम सकौती व चौसाना में ग्राम वासियों द्वारा स्थाई अतिक्रमण के अतिरिक्त नदी के कुछ भागो पर अस्थाई रूप से अतिक्रमण कर खेती की जा रही है। खोखरी नदी को पुर्नजीवित करने हेतु नदी में उक्त स्थाई व अस्थाई अतिक्रमण का हटाया जाना आवश्यक है।

रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

जिलेदार ड्रेनेज खण्ड, शामली (मु0नगर)	जिला वन अधिकारी शामली नामित सदस्य सोनू कुमार D.P.O.	सहायक अभियन्ता ड्रेनेज खण्ड, शामली (मु0नगर)	उपजिलाधिकारी–ऊन जनपद शामली	जिला पंचायत राज अधिकारी जनपद शामली

Annexure-1

कार्यालय जिलेदार,
ड्रेनेज खण्ड, शामली
(मुजफ्फरनगर)

पत्रांक :– 153 /जिलेदार/ दिनांक :– 16-07-24

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकारण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 201/2024 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 10.05.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– अधिशासी अभियन्ता महोदय के पत्रांक 730/डीडीएम/एन0जी0टी0/दिनांक 29.06.2024

सहायक अभियन्ता–प्रथम, ड्रेनेज खण्ड, शामली (मुजफ्फरनगर)।

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कार्यालय जिलाधिकारी, शामली के पत्रांक 193/ओ0ए न 201/अमित कुमार/2024 के द्वारा ड्रेनेज खण्ड, शामली को जनपद शामली में प्रवाहित खोखरी नदी का रेस्टोरेशन प्लान तैयार कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता महोदय द्वारा जिला वन अधिकारी, शामली द्वारा नामित सदस्य। जिला पंचायत राज अधिकारी, शामली। परियोजना प्रबन्धक नमामि गंगे इकाई। जल निगम (ग्रामीण) शामली द्वारा नामित सदस्य। उपजिलाधिकारी ऊन। सहायक अभियन्ता/जिलेदार ड्रेनेज खण्ड, शामली (मुजफ्फरनगर) को टीम में शामिल करते हुए 5 सदस्य टीम का गठन किया गया था। निर्देशानुसार टीम द्वारा दिनांक 28.06.2024 को खोखरी नदी का स्थलीय निरीक्षण किया। स्थलीय निरीक्षण के समय उपजिलाधिकारी ऊन महोदया, शामली द्वारा वांछना की गयी थी कि खोखरी नदी के संरेखन में आने वाले मकानों का विस्तृत सर्वेक्षण की समस्त जानकारी एकत्र करने हेतु संघन निरीक्षण की आवश्यकता है। जिसके क्रम में 5 सदस्य टीम का गठन किया गया है।

गठित टीम द्वारा दिनांक 04.07.2024 एवं दिनांक 10.07.2024 को खोखरी नदी का निरीक्षण कर नदी के संरेखन में आने वाले मकान जोकि सकौती व चौसाना के अन्तर्गत है, का विस्तृत सर्वेक्षण कर समस्त जानकारी एकत्र की गयी। नदी के संरेखन में आने वाले मकानों का चिन्हाकंन कराते हुए अतिक्रमित क्षेत्रफल सहित समस्त जानकारी एकत्र की गयी। जिसकी सूची संलग्न है।

रिपोर्ट सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार

Amit K.					
सींचपाल ड्रेनेज खण्ड, शामली	**सींचपर्यवेक्षक ड्रेनेज खण्ड, शामली**	**राजस्व निरीक्षक तहसील–ऊन शामली**	**ए0डी0ओ0 कॉपरेटिव तहसील–ऊन शामली**	**तहसीलदार–ऊन तहसील–ऊन शामली**	**उपराजस्व अधिकारी/जिलेदार ड्रेनेज खण्ड, शामली**

Annexure-1

कार्यालय जिलेदार
ड्रेनेज खण्ड, शामली (मुजफ्फरनगर)।

ग्राम चौसाना जनपद शामली में खोखरी नदी पर अतिक्रमित क्षेत्र का विवरण।

क्र0 सं0	मकान मालिक का नाम	मोबाइल नं0	अतिक्रमित क्षेत्रफल (मीटर)^2
1	श्री राजेश पुत्र श्री टनक	7500873854	15.80 x1.40 = 22.12
2	श्री महीपाल पुत्र श्री जगबीरा श्री संजीव पुत्र श्री महीपाल	9671039442 7500229107	13.75x7.80 = 107.25
3	श्री प्रमोद पुत्र श्री बिन्दर	9568086478	27.70x(0.90+5.70)/2 = 91.41
4	श्री घसीटू पुत्र श्री विशम्बर	9468086478	12.010x(0.30+0.10)/2 = 2.402
5	श्री विनोद पुत्र श्री विशम्बर	9756646482	7.50x(1.70+0.30)/2 = 7.50
6	श्री अतरा पुत्र श्री सोहनलाल	7302571471	20.50x7.50 = 153.75

Amit K.

सींचपाल ड्रेनेज खण्ड, शामली (मु0नगर)	सींचपर्यवेक्षक ड्रेनेज खण्ड, शामली (मु0नगर)	राजस्व निरीक्षक तहसील–ऊन शामली	ए0डी0ओ0 कॉपरेटिव तहसील–ऊन शामली	तहसीलदार तहसील–ऊन शामली	उपराजस्व अधिकारी /जिलेदार ड्रेनेज खण्ड, शामली (मु0नगर)

Annexure-1

कार्यालय जिलेदार

ड्रेनेज खण्ड, शामली (मुजफ्फरनगर)।

ग्राम सकौती जनपद शामली में खोखरी नदी पर अतिक्रमित क्षेत्र का विवरण।

क्र0 सं0	मकान मालिक का नाम	मोबाइल नं0	अतिक्रमित क्षेत्रफल (मीटर)^2
1	श्री हरेन्द्र पुत्र श्री जिले सिंह	9756313536	17.05x2.25 = 38.36
2	श्री मोहित पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह	7906263133	17.75x3.40 = 60.35
3	श्री सचिन कुमार पुत्र श्री शिव कुमार	9690379533	15.80x2.40 = 37.92
4	श्री रामकुमार पुत्र श्री कालाराम	9837442326	14.30x5.60 = 80.08
5	श्री मांगेराम पुत्र श्री जिले सिंह	9012207514	11.10x6.10 = 67.71
6	श्री निर्मल पुत्र श्री सीताराम	9050969000	16x9.30 = 148.80
7	श्री देदपाल पुत्र श्री सरजीत	9027502717	25.46
8	श्री तेजपाल व रामशरण पुत्रगण श्री केशोराम	9627857058	16.22
9	श्री सुक्रमपाल पुत्र श्री बलजीत	9012846846	128.06
10	श्री रामपाल पुत्र श्री हरी सिंह	8178364042	13.50x0.40 = 5.40
11	श्री अमित पुत्र श्री ईसम सिंह	8006231984	18.10x6.00 = 108.60
12	श्री लाभ सिंह पुत्र श्री बलजीत	—	19.50x0.40 = 7.80
13	श्री राजेन्द्र पुत्र श्री पुन्ना सिंह	7668403664	16.87
14	श्री रामफल पुत्र श्री धर्मवीर सिंह	8168200818	15x4.90 = 73.50
15	श्री मांगेराम पुत्र श्री सुबा	—	5.65x0.45 = 2.54
16	श्री रामशरण पुत्र श्री सहेन्दर सिंह	7465887730	4.65x0.45 = 2.09
17	श्री भगवान सिंह पुत्र श्री सहेन्दर सिंह	9548690616	3.90x0.45 = 1.75
18	श्री फूल कुमार पुत्र श्री सहेन्दर सिंह	7817867293	4.10x0.45 = 1.84
19	श्री शिव कुमार पुत्र श्री सहेन्दर सिंह	7534972299	4.35x0.45 = 1.96
20	श्री रामकुमार पुत्र श्री सहेन्दर सिंह	8930070256	8.50x0.45 = 3.82
21	श्री चन्द्रपाल पुत्र श्री महेन्द्र सिंह	9565837956	14.00x7.65 = 107.10
22	श्री रवि पुत्र श्री राजपाल	7500748738	9.00x6.60 = 59.40
23	स्व0 श्री बाबू पुत्र श्री शब्बीर (वारिस श्री नौशाद पुत्र श्री बाबू)	—	9.20x4.30 = 39.56
24	श्री राजबीर पुत्र श्री खिलारी	8476021664	25.20x9.30 = 232.60
25	श्री देशपाल पुत्र श्री राजपाल	—	9.0x6.60 = 59.40
26	श्री अरूण पुत्र श्री पीतम सिंह	9761637763	12.20x3.40 = 41.48
27	श्री विकास पुत्र श्री हरी सिंह	—	11.20x2.30 = 25.76

Amit K.					
सींचपाल ड्रेनेज खण्ड, शामली (मु0नगर)	सींचपर्यवेक्षक ड्रेनेज खण्ड, शामली (मु0नगर)	राजस्व निरीक्षक तहसील–ऊन शामली	ए0डी0ओ0 कॉपरेटिव तहसील–ऊन शामली	तहसीलदार तहसील–ऊन शामली	उपराजस्व अधिकारी /जिलेदार ड्रेनेज खण्ड, शामली (मु0नगर)

Annexure-1

मा0 राश्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 201/2024 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 10.05.2024 के अनुपालन के क्रम में विलुप्त हुई खोखरी नदी के स्थलीय निरीक्षण दिनांक 28.06.2024 के फोटोग्राफ

Annexure-1

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 201/2024 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 10.05.2024 के अनुपालन के क्रम में विलुप्त हुई खोखरी नदी के स्थलीय निरीक्षण दिनांक 28.06.2024 के फोटोग्राफ

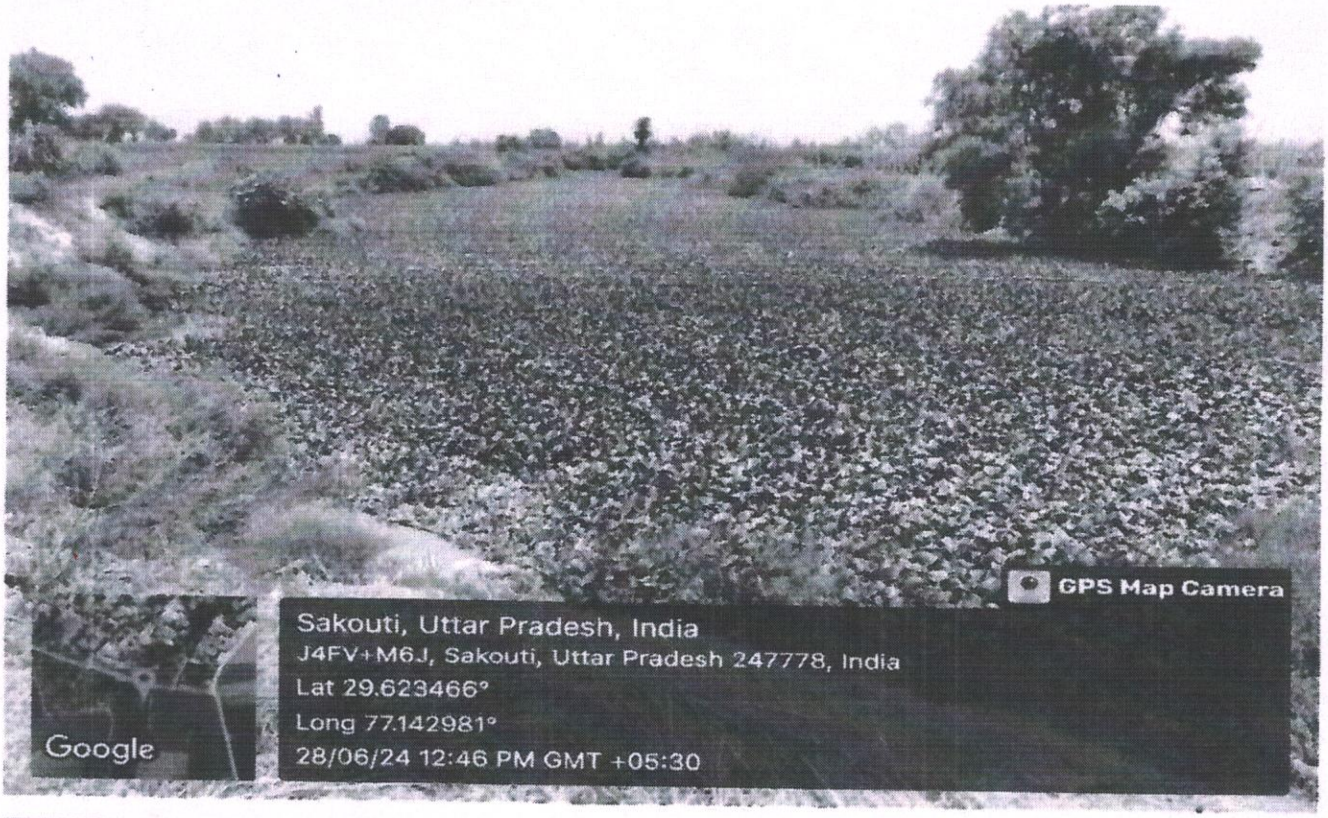

Annexure-1

खोखरी नदी का समयबद्ध Restoration Plan

1— खोखरी नदी के संरेखन में पडने वाले उक्त स्थाई एवं अस्थाई अतिक्रमण का हटाया जाना।

(निर्धारित समय T माह, कार्यवाही— उपजिलाधिकारी ऊन/राजस्व विभाग)

2— खोखरी नदी के पुनर्जीवन हेतु DPR (खुदाई सीधे गिरने वाले नालो की टेपिंग, वृक्षारोपण इत्यादि) तैयार करना।

(निर्धारित समय T+1 माह, कार्यवाही—नमामि गंगे/ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)

3— धनावंटन उपरान्त कार्य का सम्पादन कराया जाना।

(निर्धारित समय T+3 माह, कार्यवाही— नमामि गंगे/ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)

4— पुनर्जीवित उपरान्त खोखरी नदी में सीधे गिरने वाले नालों के पानी को शोधन उपरान्त प्रवाहित करना।

(निर्धारित समय T+6 माह, कार्यवाही— जिला पंचायती राज विभाग)

5— पुनर्जीवित नदी को अतिक्रमण से मुक्त रखने हेतु एवं पर्यावरण के दृष्टिगत नदी के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण कराया जाना।

(निर्धारित समय T+8 माह, कार्यवाही— वन विभाग)

नोट :— नदी को पुनर्जीवन प्रदान करने हेतु इसमें न्यूनतम पानी का बहाव होना अत्यन्त आव[illegible] है जिससे कि यह अपने प्राकृतिक स्वरूप को प्राप्त कर सके।

अधिशासी अभियन्ता
ड्रैनेज खण्ड, शामली (मुजफ्फरनगर)

Annexure-2

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
(सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग)
सिंचाई निर्माण खण्ड, सहारनपुर।

Email Address:- eesreicd001@gmail.com, eeicdidupsa-up@nic.in
Phone No:- 0132-2661746

प्राप्त संख्या 380
दिनांक 14/08/2024
NGT-16

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय
सहारनपुर।

पत्रांकः /सिंनिखस/ दिनांकः –08–2024

विषयः **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–201/2024 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 10.05.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः आपका पत्रांकः 322/ओ0ए0 नं0–201/2024 (अमित)/2024, दिनांक 03.07.2024

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। जिसके द्वारा अधोहस्ताक्षरी को जनपद सहारनपुर में प्रवाहित सिंधली (खोखरी) नदी का Time Bound Action Plan for Restoration of the River तैयार कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–201/2024 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 10.05.2024 द्वारा जनपद सहारनपुर में प्रवाहित होने वाली सिंधली (खोखरी) नदी के सम्बन्ध में निम्नवत् आदेश जारी किये गये हैं:–

8...... Report Clearly states that river used to flow perennially around 15 years ago to meet the basic rural domestic and agricultural fresh water neets but on inspection it was found that water bodies is now without water discharge, the river is tributary of river Yamuna which ultimately meets river Ganga. The restoration of river and its flow is required to be done. Hence, we direct respondent no.6- District Magistrate, Shamli and respondent no.7- District Magistrate, Saharanpur to prepare a time bound action plan for restoration of the river and submit it before the Tribunal at least one week before the next date of hearing.

9.Application present in person has also sought for weeks time to file objection to the report which is granted.

10. "List on 27.08.2024".

ASO
pls
16/8/2024

अतः आदेशों के अनुपालन में लुप्त हुई खोखरी नदी का स्थलीय निरीक्षण सिंचाई विभाग व राजस्व विभाग द्वारा मौके पर निम्नलिखित ग्रामों का निरीक्षण किया गया तथा ग्रामवासियों से पूछताछ की गयी, जिसमें ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि निम्नलिखित ग्रामों में बसी, ढुलावली, पखनपुर, बासदेवा मु0, शकरपुर साकरौर मु0, लखनौती मु0, आलमपुर, रसूलपुर उर्फ बल्ला माजरा, बुढाखेडा, हुसैनपुर, कल्लरहेडी व सनौली पूर्व में सिंधली नदी रहती थी, जो मौके पर विलुप्त है। उक्त ग्रामों के राजस्व अभिलेखों में सिंधली नदी दर्ज नही है। उक्त ग्रामों के अभिलेखों में खाला व नदी के नाम से दर्ज चले आ रहे है। सिंधली नदी के पुर्नरोद्धार एवं अतिक्रमण को हटाये जाने के लिए एवं उक्त भूमि का

Annexure-2

चिन्हांकन किये जाने हेतु राजस्व विभाग व सिंचाई विभाग की 12 सदस्यों की संयुक्त टीम गठित की गयी है। उपरोक्त टीम उक्त ग्रामों का मौके का चिन्हांकन कर अवैध कब्जादारों की रिपोर्ट तैयार करेगें तथा मौके पर स्थायी/अस्थायी किस प्रकार का कब्जा है कि सूची बनाते हुए आख्या शीघ्र प्रस्तुत करेगें। इसके साथ ही सिंधली (खोखरी) नदी का समयबद्ध Restoration Plan संलग्न है।

आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड,
सहारनपुर।

पत्रांकः 1889 /सिंनिखस/तदिनांकः 14-08-2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

(1) क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 33/18 कपिल विहार, सहारनपुर।
(2) प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर।
(3) उप जिलाधिकारी नकुड, सहारनपुर।
(4) जिला परियोजना अधिकारी (नमामि गंगे), समाजिकी वानिकी प्रभाग, सहारनपुर।
(5) सहायक अभियन्ता–तृतीय, सिंचाई निर्माण खण्ड, सहारनपुर।

14-8-24

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड,
सहारनपुर।

Annexure-2

खोखरी नदी का समयबद्ध Restoration Plan

1–सिंधली (खोखरी) नदी के संरेखन में पडने वाले उक्त स्थाई एवं अस्थाई अतिक्रमण का हटाया जाना।

(31 अक्टूबर, 2024 तक, कार्यवाही–उप जिलाधिकारी नकुड/राजस्व विभाग)

2– सिंधली (खोखरी) नदी पुर्नजीवन हेतु DPR (खुदाई एवं वृक्षारोपण इत्यादि) तैयार करना।

(30 नवम्बर, 2024 तक, कार्यवाही–नमामि गंगे/ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)

3– धनांवटन उपरान्त कार्य का सम्पादन कराया जाना।

(31 मार्च, 2025 तक, कार्यवाही–नमामि गंगे/ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)

4– पुनर्जीवित नदी को अतिक्रमण से मुक्त रखने हेतु एवं पर्यावरण के दृष्टिगत नदी के दोनों किनारों पर वृक्षारोपेण कराया जाना।

(15 मई, 2025 तक, कार्यवाही–वन विभाग)

नोटः– नदी को पुनर्जीवन प्रदान करने हेतु इसमें न्यूनतम पानी का बहाव होना अत्यन्त आवश्यक है, जिससे कि यह अपने प्राकृतिक स्वरूप को प्राप्त कर सकें।

14-8-24

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड,
सहारनपुर।